जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2021/डी– 1887 दिनांकः– 30.4.2021

मैसर्स जयपुर बिल्डहोम जरिये प्रोपराईटर
श्री प्रेम कुमार चुघ पुत्र श्री दीवान चन्द चुघ,
पंजीकृत कार्यालय दुकान नम्बर 22, बृज वाटिका,
महल रोड़, जगतपुरा, जयपुर।

विषयः–निजी खातेदारी की आवासीय योजना श्रीराम विहार ब्लॉक ए के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए–36 एवं ए–8 पूर्वी भाग के प्रस्तावित आवासीय संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

संदर्भः–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2021 के क्रम मे।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2021 के क्रम मे किये गये निवेदन अनुसार निजी खातेदारी की योजना श्रीराम विहार ब्लॉक ए के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए–36 एवं ए–8 पूर्वी भाग पर 15.0 मीटर ऊँचाई (स्टील्ट + 4) के संशोधित आवासीय भवन के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 29.04.2021 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.04.2021 मे लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी है :–

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से पांच वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र प्रचलित भवन विनियम 2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशो के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र मे सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. आप द्वारा भवन विनियम 2017 की धारा–15.2 के अनुसार भवन विनिमय प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें सम्बन्धित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, समक्ष अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
8. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
11. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय मे यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय मे प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
12. भवन निर्माण के समय सामग्री से आस–पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवायें जावें।
13. भवन विनिमय की धारा 16.5 की अनुपालना मे भूकम्प रोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।
14. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा
15. वर्षा जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
16. ऊपर वर्णित शर्तो एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्नः–अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सैट (03 मानचित्र)।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपायुक्त जोन–9
उपायुक्त अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रवर्तन अधिकारी जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
3. रक्षी पत्रावली।

–sd–
(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपायुक्त जोन–9

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

SHEET NO-01

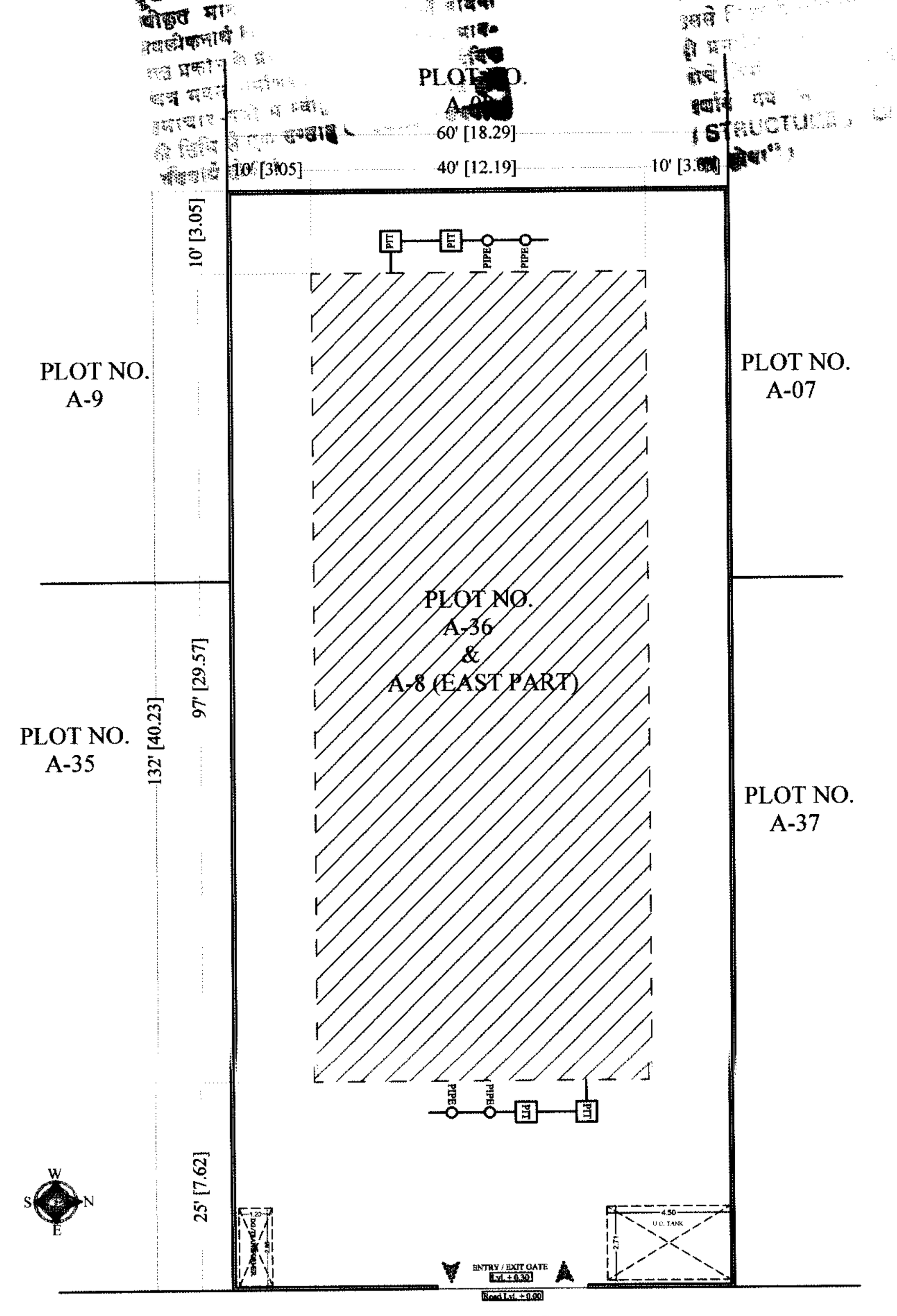

SITE PLAN & RAIN WATER HARWESTING PLAN scale = 1:200

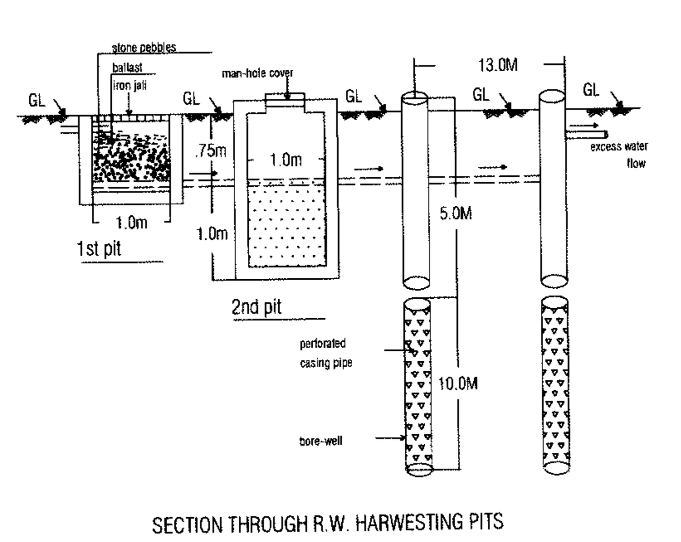

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

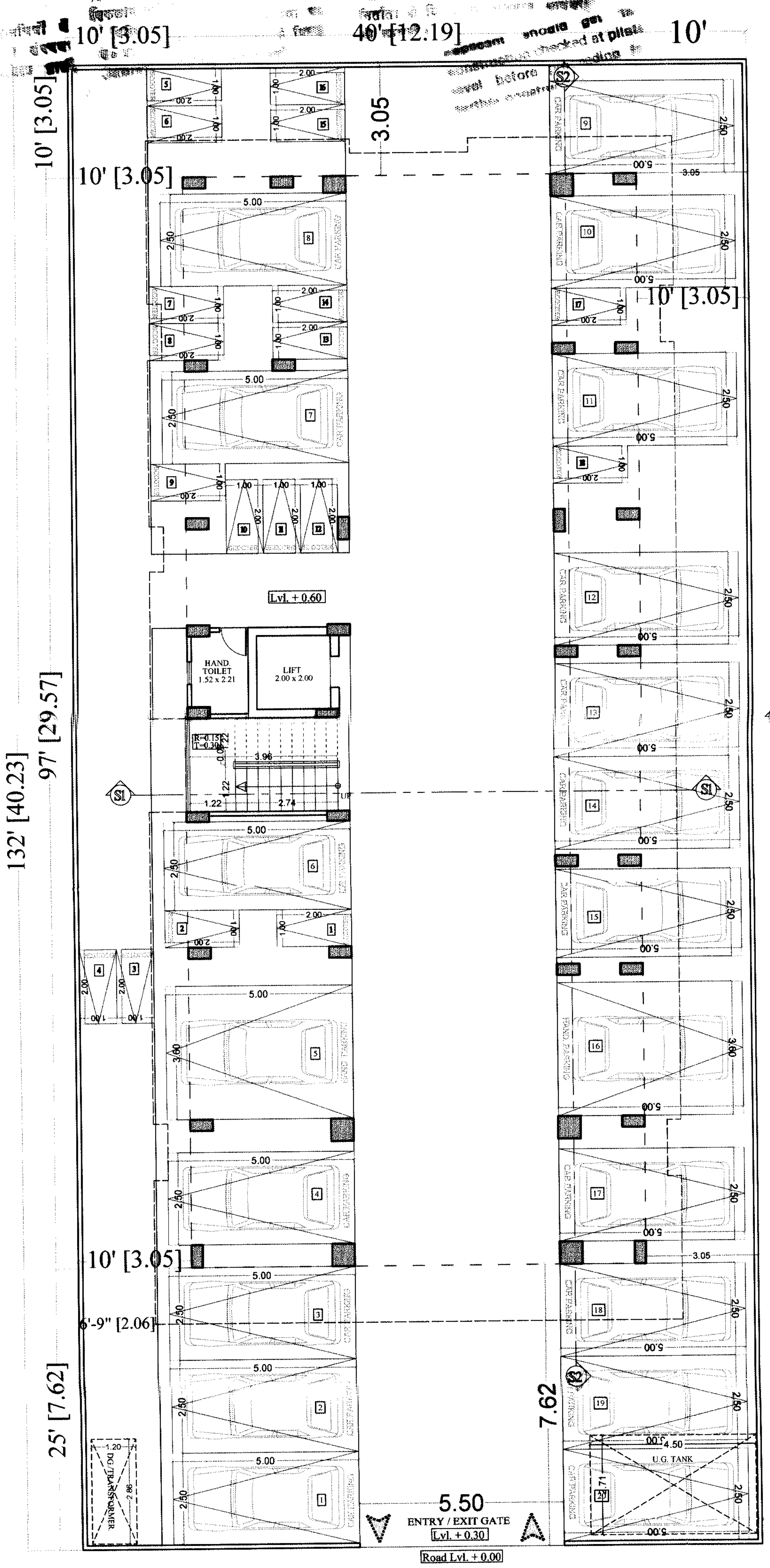

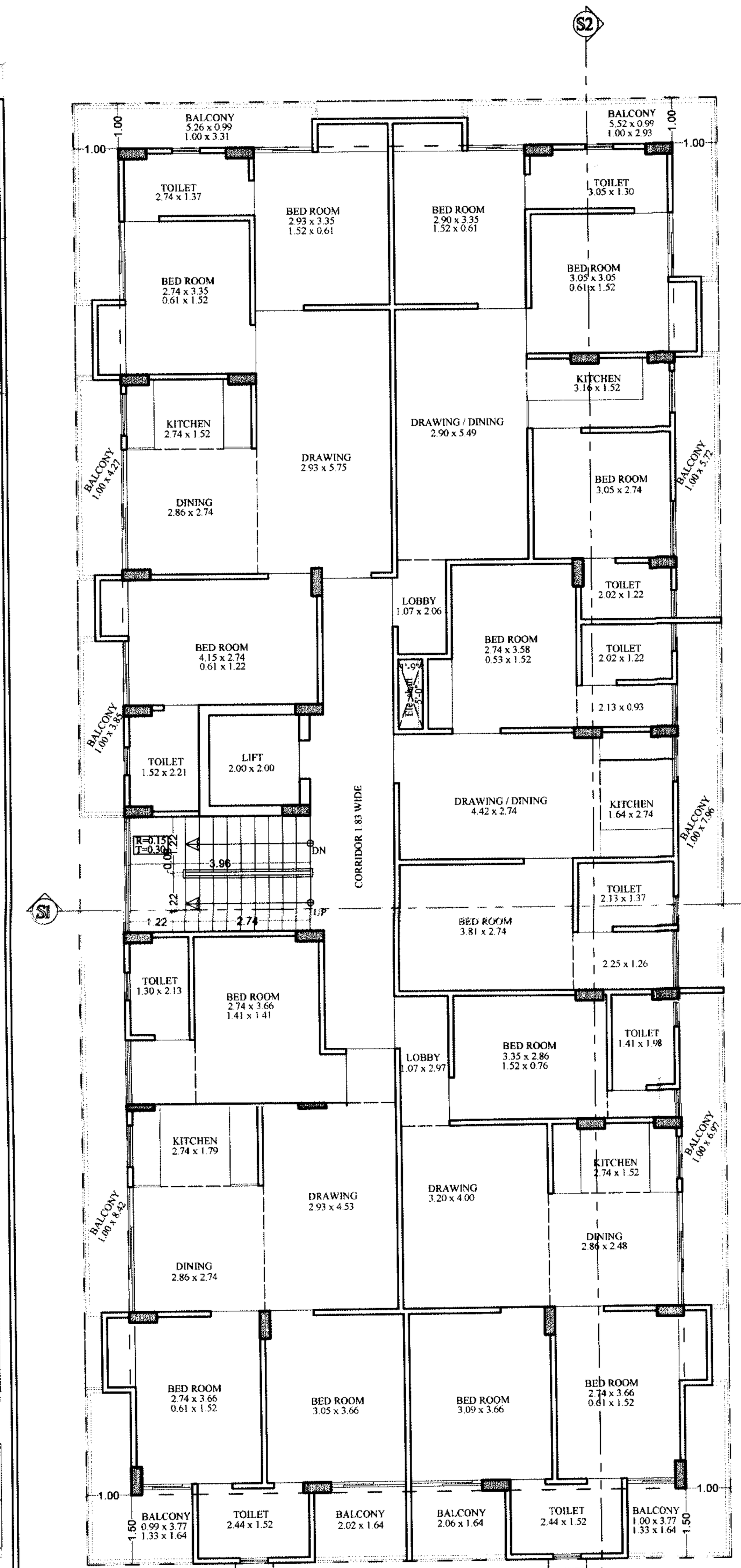

GROUND, 1st TO 3th FLOOR PLAN

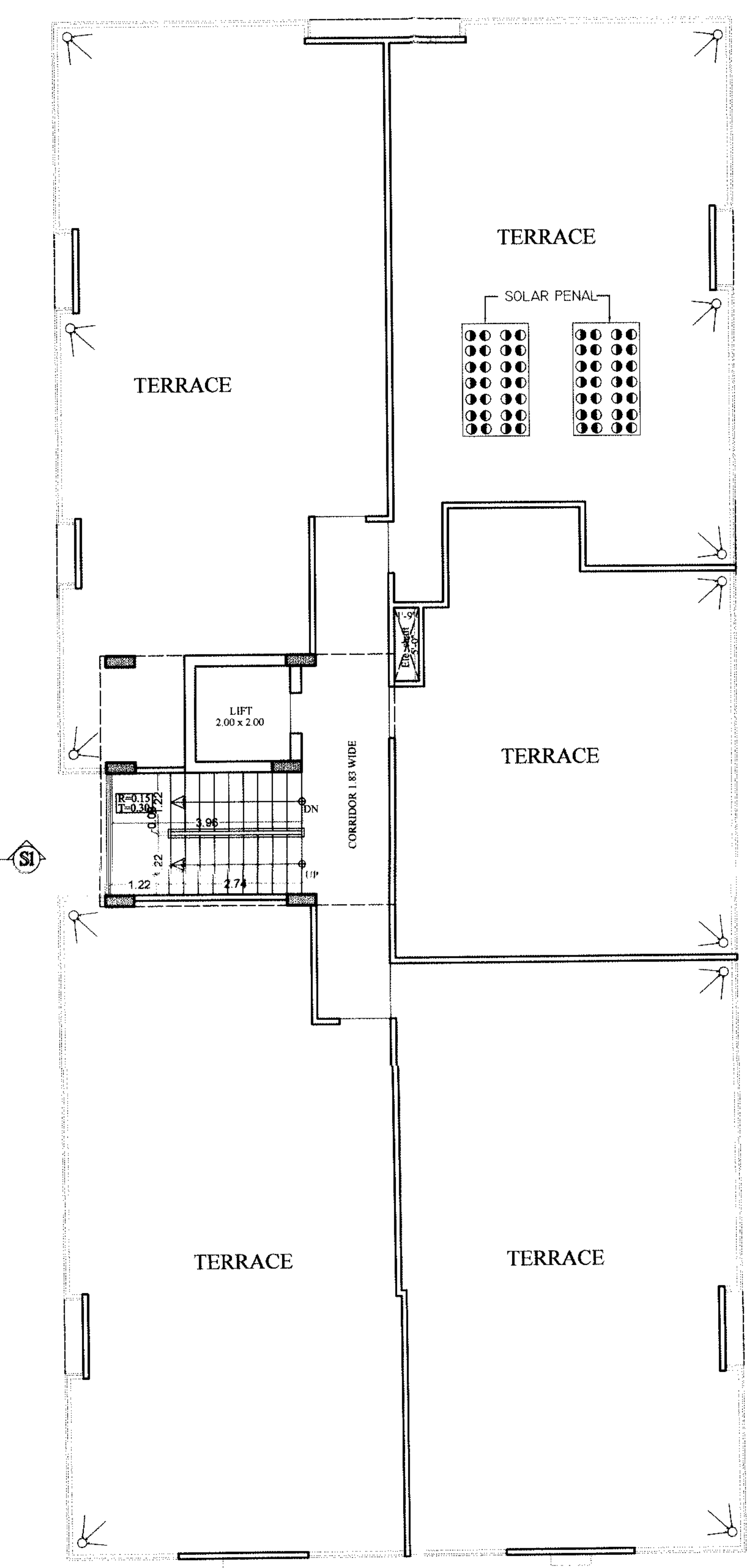

TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA = 735.79 SQ.MT. / 880.00 Sq.yd.
2.	PERMISSIBLE B.A.R = 735.79 x 2.0 = 1471.58 Sq.mt.
3.	PROPOSED B.A.R. = 1792.89 Sq.mt. (2.43 %)
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
6.	E.C.U. REQUIRED = 1792.89 / 115 = 15.59 x 1.25 = 19.48 CAR = 15 SCOOTER = 14
7.	E.C.U. PROPSED = 20 CAR = 18 SCOOTER

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	ELEVATION TREATMENT	SERVICE SHAFT	BUILTUP AREA	N.B.A.
1	STILT FLOOR	452.57	-	-	452.57	3.37
	Ug Water Tank, DG Transformer	15.59				
2	GROUND FLOOR	452.57	4.38	0.81	447.38	447.38
3	1ST FLOOR	452.57	4.38	0.81	447.38	447.38
4	2ND FLOOR	452.57	4.38	0.81	447.38	447.38
5	3RD FLOOR	452.57	4.38	0.81	447.38	447.38
6	MUMTY/ STAIR	31.78	-	-	31.78	-
7	TOTAL	2310.22	-	-	2273.87	1792.89

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/93/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :- PROPOSED BUILDING PLAN OF PLOT NO :-A-36 & A-8(EAST PART) SCHEME :- SHREE RAM VIHAR-A (NIJI KHATEDAR) AT VILLAGE, SHREE KISHAN PURA. TEHSIL :- SANGANER, JAIPUR

OWNER

Proprietor

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-02

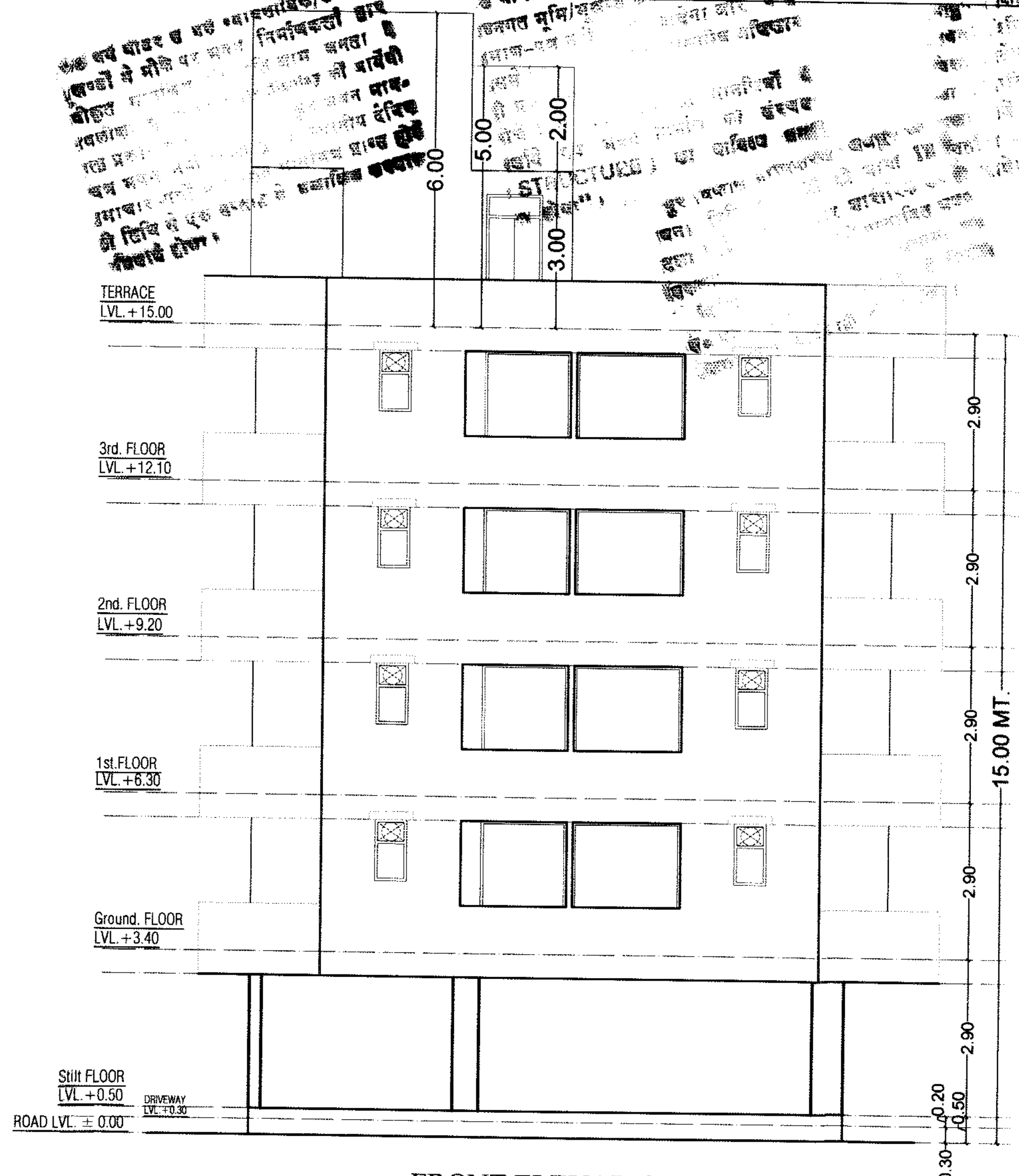

FRONT ELEVATION

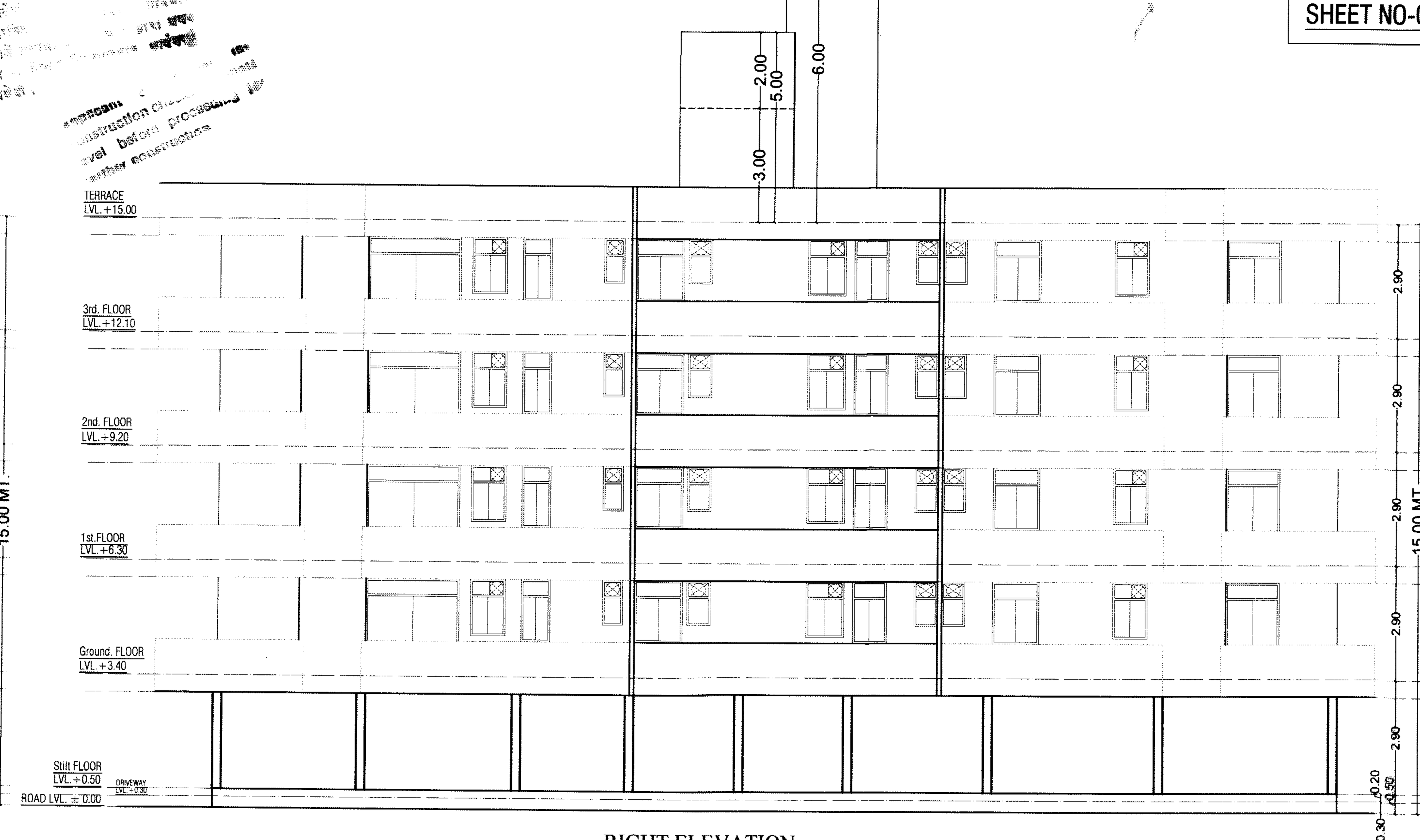

RIGHT ELEVATION

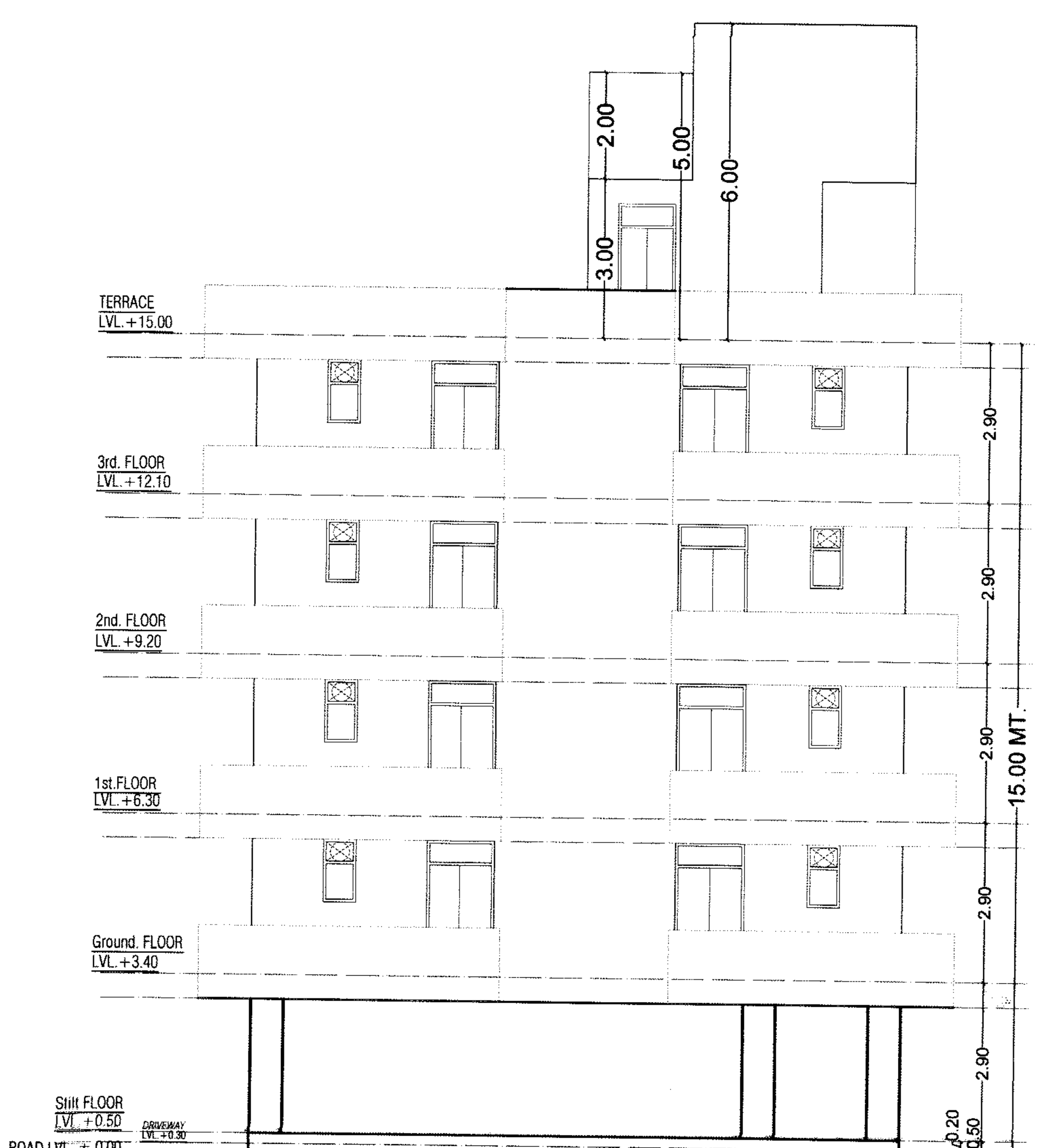

BACK ELEVATION

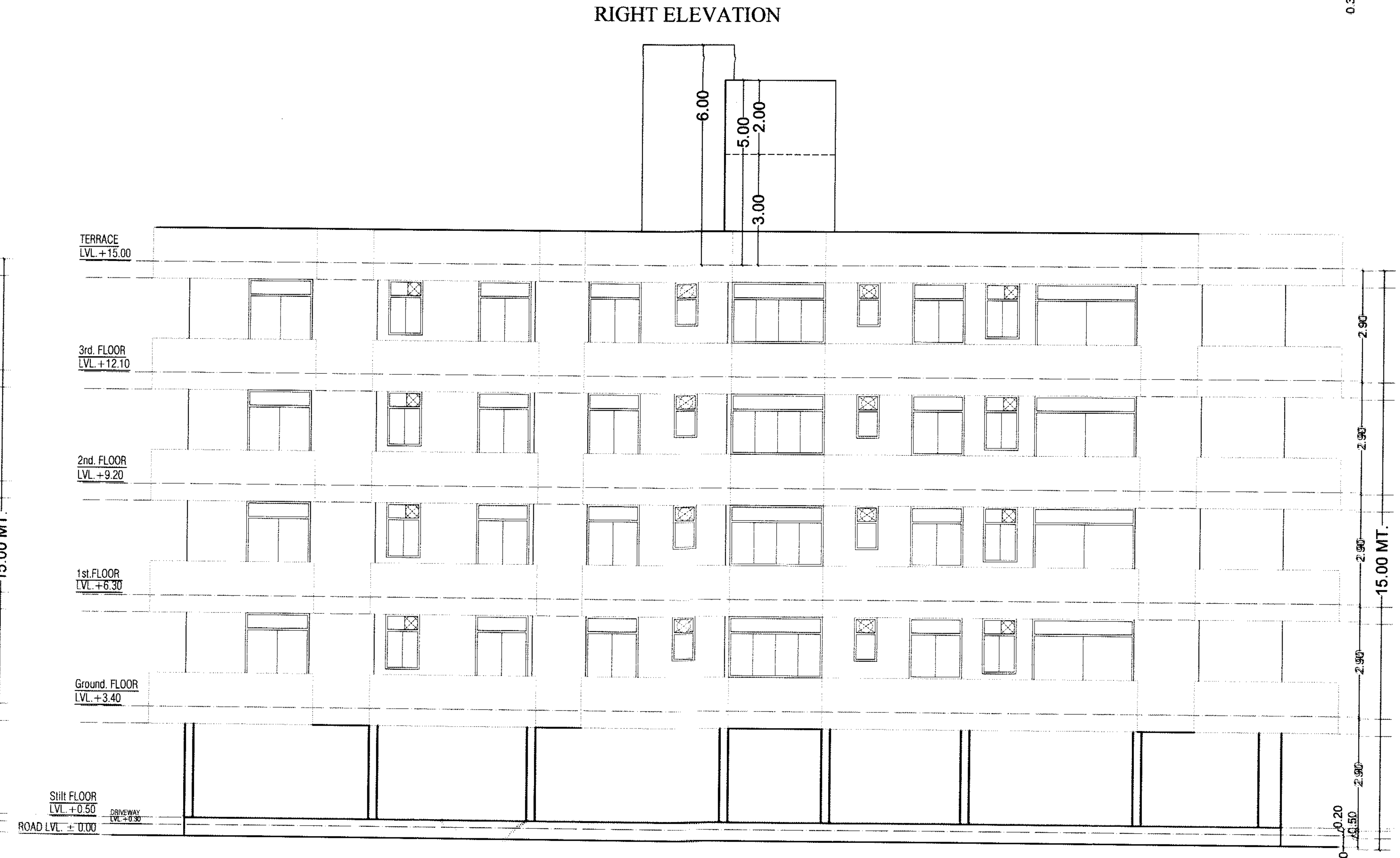

LEFT ELEVATION

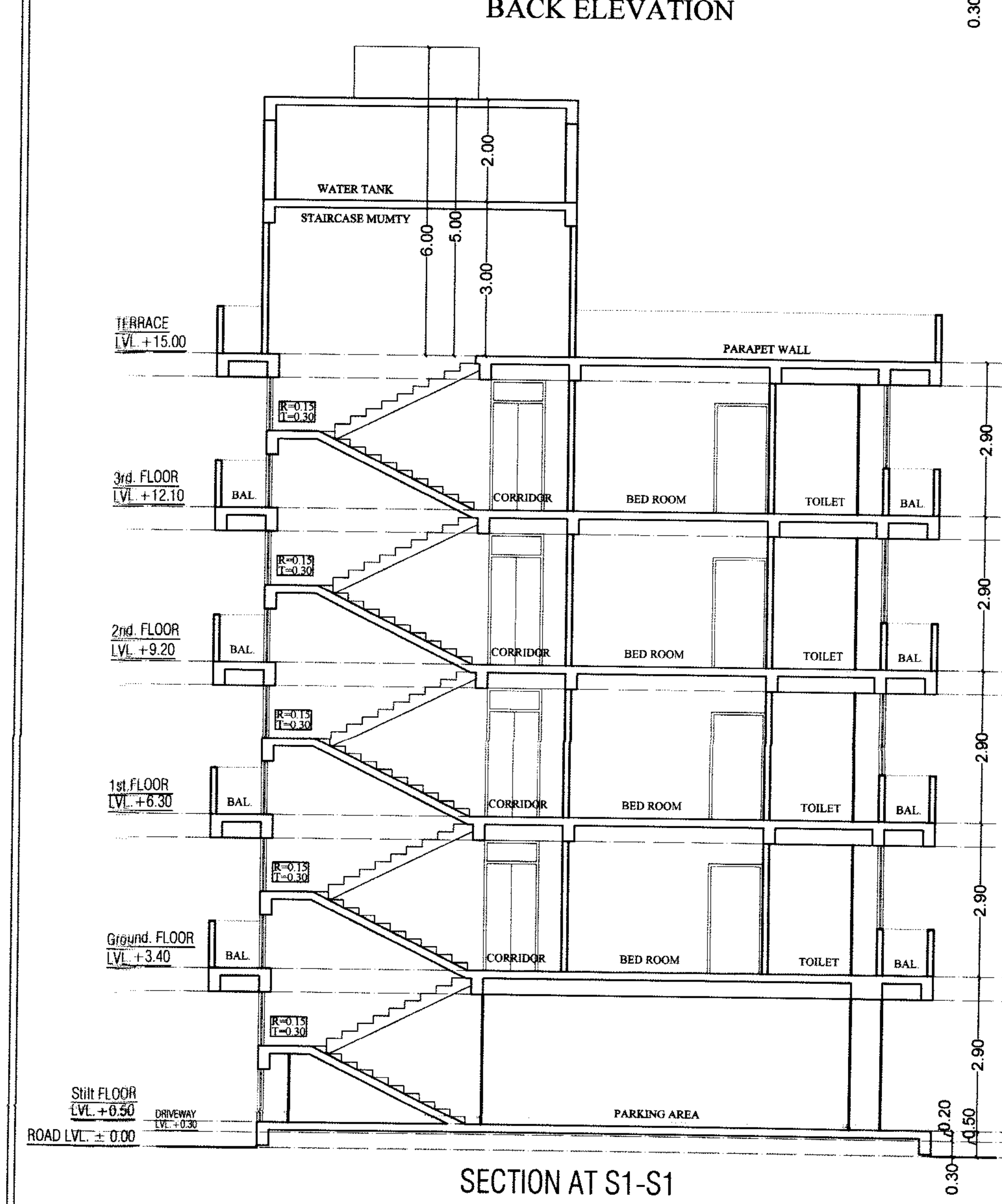

SECTION AT S1-S1

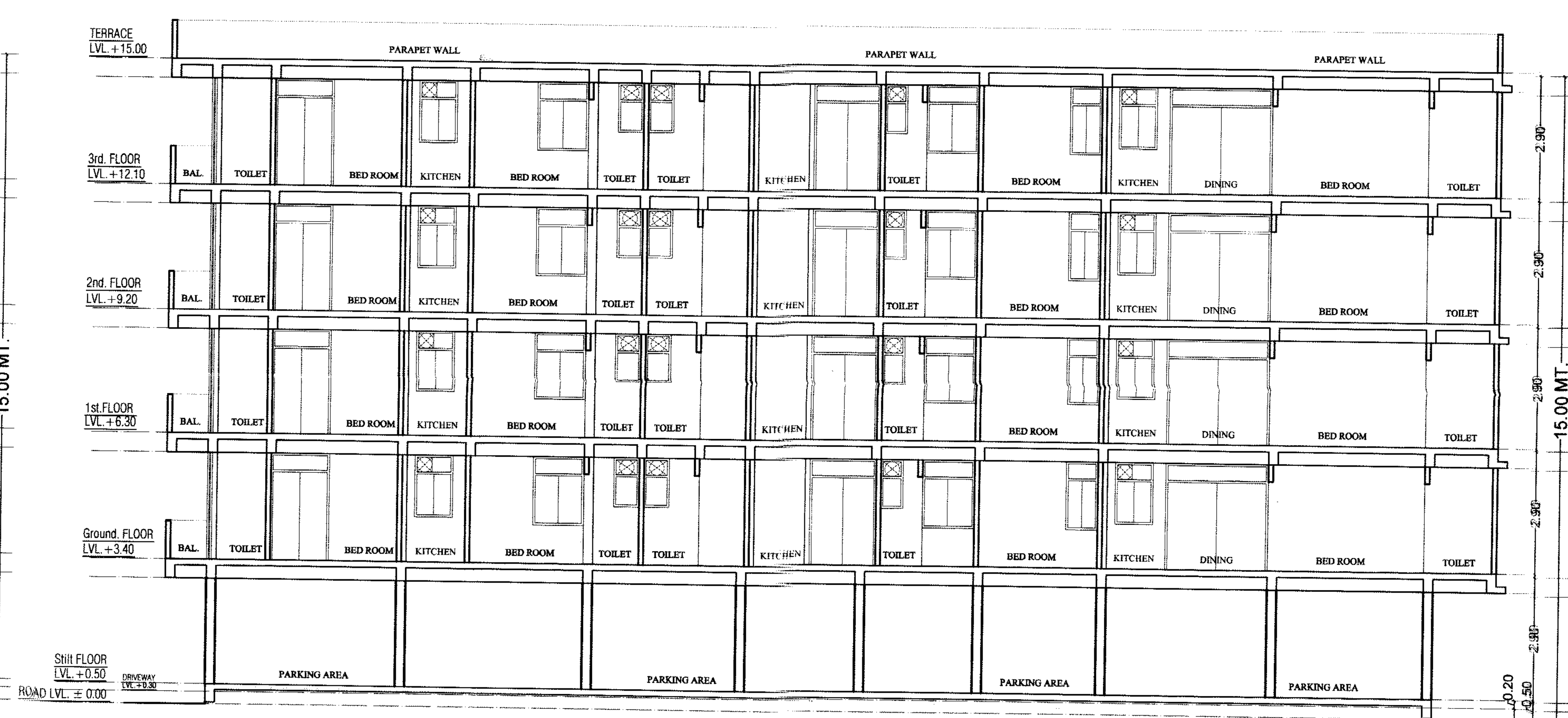

SECTION AT S2-S2

अनुमोदित

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सहायक नगर नियोजक
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED BUILDING PLAN OF
PLOT NO :-A-36 & A-8(EAST PART)
SCHEME :- SHREE RAM VIHAR-A
(NIJI KHATEDAR) AT VILLAGE,
SHREE KISHAN PURA. TEHSIL :-
SANGANER, JAIPUR

OWNER

Proprietor

ARCHITECT :-

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com